

राजस्थान विधान सभा
अष्ठम् सत्र
कार्य-सूची
शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2012
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन

डॉ. दयाराम परमार उच्च शिक्षा राज्यमंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के अधिनियम, 1962 की धारा-39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009; एवं
- 2- महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अधिनियम, 1987 की धारा-38 के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009.

3. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेगी :-

- 1- अजमेर स्थित वार्ड-11 की जवाहर की नाड़ी के सियाराम नगर (अनुसूचित जाति की बस्ती) में पेयजल हेतु पाईप लाईन बिछाये जाने बाबत् ।
- 2- अजमेर स्थित वार्ड-47 के आवासन मण्डल की कॉलोनी ज्वाला प्रसाद नगर की सीवरेज लाईनों के नाकारा होने से उत्पन्न स्थिति से छुटकारा पाने हेतु नई सीवरेज लाईन बिछाये जाने बाबत् ।
- 3- अजमेर स्थित वार्ड-32 की अम्बाबाड़ी कॉलोनी के लोगों को पेयजल हेतु पानी की पाईप लाईन बिछाये जाने बाबत् ।

(II) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेगी :-

- 1- विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के आर.के.चिकित्सालय में रिक्त पड़े महिला रोग विशेषज्ञों के रिक्त पदों को भरने बाबत् ।
- 2- राजसमंद में महाविद्यालय (स्नात्कोत्तर) खोलने बाबत् ।

(III) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- भीम विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बाली-जस्साखेड़ा काछबली, सारोठ, अजीतगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत् ।
- 2- भीम विधान सभा क्षेत्र को पेयजल के स्थायी समाधान हेतु, बीसलपुर अथवा चम्बल पेयजल योजनाओं से जोड़ने बाबत् ।

(IV) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी :-

- 1- रामगंजमण्डी (कोटा) में बस स्टैण्ड स्वीकृत करने बाबत् ।
- 2- रामगंजमण्डी में नवीन कृषि कार्यालय खोलने बाबत् ।

(V) डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, सदस्य, विधान सभा, बैजवाड़ी पपलाद माता (मंदिर) भवन से छारेड़ा होते हुए आलूदा तक रोड़ का डामरीकरण करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(VI) श्री बाबूलाल खराड़ी, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के पाड़ा खादरा ग्राम मानेर बाँध व उबा पाण बाँध लाम्बा हल्दु तहसील कोटड़ा के दोनों बांधों के कार्य को चालू करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(VII) श्री ग्यारसारांम कोली, सदस्य, विधान सभा, बयाना रेल्वे स्टेशन से ग्राम सीदपुर तक सड़क निर्माण करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) श्रीमती जकिया, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी :-

- 1- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 83वां प्रतिवेदन ;
- 2- राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 84वां प्रतिवेदन ;
- 3- राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-1999) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2009-10 के 9वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 85वां प्रतिवेदन ;
- 4- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 22वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की क्रियान्विति से संबंधित) राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 86वां प्रतिवेदन ;

- 5- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड(महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 23वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की क्रियान्विति पर आधारित) राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 87वां प्रतिवेदन ;
 - 6- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 28वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की क्रियान्विति (विषयक) राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 88वां प्रतिवेदन ;
 - 7- राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2008-2009) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 31वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही (विषयक) राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 89वां प्रतिवेदन ;
 - 8- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 45वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही (विषयक) राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 90वां प्रतिवेदन ;
 - 9- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 46वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही (विषयक) राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 91वां प्रतिवेदन ; एवं
 - 10- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 47वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही (विषयक) राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 92वां प्रतिवेदन।
- (II) श्री भगवान सहाय सैनी, सभापति, याचिका समिति, 2011-2012 समिति के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।
- (III) श्री आदराम मेघवाल, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2011-2012 समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

5. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013

प्रथम अवस्था

अग्रोत्तर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013 पर अग्रोत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा।

कृष्ण मुरारी गुप्ता
उप सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 29 मार्च, 2012